प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

10195-75

पत्रसंख्याःएस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/2015–16(Vol-2)/51–ई/ दिनांकः 03-01-2018

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 हेतु ब्लॉक स्तर पर संविदा पर कार्यरत ब्लॉक डाटा–इंट्री ऑपरेटर के 03 माह (01 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक) के मानदेय की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 2017–18 (ROP F.No. 10(7)/2017-NHM-I Dated 06.06.2017) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 99वीं बैठक दिनांक 30.06.2017 के एजेण्डा मद संख्या 99.70 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 के अर्न्तगत एफ0एम0आर0 कोड संख्या **बी15.3.1.2 "डाटा इन्ट्री ऑपरेटर–ब्लॉक लेवल"** हेतु निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:–

"Lumpsum amount of Rs. 1,443.92 lakhs has been approved for data entry operation, which may be outsourced, to the extent possible. Please refer to JS (Policy)'s letter dated 22nd July 2016 for details."

संयुक्त सचिव, भारत सरकार के आ0ओ0पी0 में सदर्भित पत्र संख्या 10(36)2015-NRHM-I दिनांक 22.07.2016 के क्रम में निर्देशित किया गया है कि यदि राज्यों द्वारा वर्तमान में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर के स्थान पर डाटा इन्ट्री कार्य हेतु आउटसोर्सिंग करना सम्भव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों को पूर्व में स्वीकृत डाटा इन्ट्री आपरेटरों के पदों को बनाये रखने हेतु विकल्प दिया गया है, साथ ही डाटा इन्ट्री आपरेटर के नवीन पदों की स्वीकृति न प्रदान करते हुए नवीन भर्तियाँ न करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आर0ओ0पी0 2017–18 में मिशन फ्लैक्सीपूल के एफ0एम0आर0 कोड नम्बर B15.3.1.2 "Data Entry Operators at Block Level" में एम0सी0टी0एस0/आर0सी0एच0 पोर्टल के सफल संचालन हेतु ब्लॉक स्तर पर डाटा इन्ट्री अपरेटर्स के मानदेय हेतु रु0 14,000.00 प्रतिमाह की दर से निम्नानुसार बजट स्वीकृत् किया गया है। जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

FMR Code: B15.3.1.2 (Data Entry Operators at Block Level)

S.No.	Districts	No. of Blocks	Approved @ Rs 14,000.00/ month/ operator for 820 Block Data Entry Operator (Total amount proposed for 03 months 01 Jan. 2018 to 31 Mar. 2018) Amount in Rs.
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4=(Col.3 x Rs.14000 x 03)
1	Agra	15	630000
2	Aligarh	12	504000
3	Allahabad	20	840000
4	Ambedkar Nagar	9	378000
5	Amethi	13	546000
6	Amroha (JP Nagar)	6	252000
7	Auraiya	7	294000
8	Azamgarh	22	924000
9	Baghpat	6	252000
10	Bahraich	14	588000
11	Ballia	17	714000
12	Balrampur	9	378000
13	Banda	8	336000
14	Barabanki	15	630000
15	Bareilly	15	630000
16	Basti	14	588000
17	Bijnor	11	462000
18	Budaun	15	630000
19	Bulandshahar	16	672000
20	Chandauli	9	378000
21	Chitrakoot	5	210000

Scanned by CamScanner

S.No.	Districts	No. of Blocks	Approved @ Rs 14,000.00/ month/ operator for 820 Block Data Entry Operator (Total amount proposed for 03 months 01 Jan. 2018 to 31 Mar. 2018) Amount in Rs.
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4=(Col.3 x Rs.14000 x 03)
22	Deoria	16	672000
23	Etah	8	336000
24	Etawah	8	336000
25	Faizabad	11	462000
26	Farukkhabad	7	294000
27	Fatehpur	13	546000
28	Firozabad	9	378000
29	Gautam Buddha Nagar	4	168000
30	Ghaziabad	4	168000
31	Ghazipur	16	672000
32	Gonda	16	672000
33	Gorakhpur	19	798000
34	Hamirpur	7	294000
35	Hapur	4	168000
36	Hardoi	19	798000
37	Hathras	7	294000
38	Jalaun	9	378000
39	Jaunpur	21	882000
40	Jhansi	8	336000
41	Kannauj	8	336000
42	Kanpur Dehat	10	420000
43	Kanpur Nagar	10	420000
44	Kasganj	7	294000
45	Kaushambi	8	336000
46	Kushi Nagar	14	588000
47	Lakhimpur Kheri	15	630000
48	Lalitpur	6	252000
49	Lucknow (+3 Block)	8	336000
50	Maharajganj	12	504000
51	Mahoba	4	168000
52	Mainpuri	9	378000
53	Mathura	10	420000
54	Mau	9	378000
55	Meerut	12	504000
56	Mirzapur	12	504000
57	Moradabad	8	336000
58	Muzaffar Nagar	9	378000
59	Pilibhit	7	294000
60	Pratapgarh	17	714000
61	Raebareli	18	756000
62	Rampur	6	252000
63	Saharanpur	11	462000
64	Sambhal	8	336000
65	Sant Kabir Nagar	9	378000
66	S. R. Nagar (Bhadohi)	6	252000
67	Shahjahanpur	15	630000
68	Shamali	5	210000
69	Shrawasti	5	210000
70	Siddharth Nagar	14	588000
71	Sitapur	19	798000
72	Sonbhadra	8	336000
73	Sultanpur	13	546000
74	Unnao	16	672000
75	Varanasi	8	336000
		820	**34440000**
			रु0 **3,44,40,000** (रुपये तीन करोड़ चौवालीस लाख चालीस हजार मात्र)

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त दी गयी फांट के अनुसार **"डाटा इन्ट्री ऑपरेटर–ब्लॉक लेवल"** के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि रु0 **3,44,40,000.00 (रुपये तीन करोड़ चौवालीस लाख चालीस हजार मात्र)** समस्त जनपदों को अवमुक्त की जा रही हैं। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय एफ0एम0आर0 कोड संख्या **बी15.3.1.2** से किया जाना सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

आवश्यक दिशा–निर्देश :–

- डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा एम0सी0टी0एस0, एच0एम0आई0एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर ससमय, शत–प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा प्रविष्ठ किया जाये, डाटा की जाँच एवं पुष्टि ए0आर0ओ0 द्वारा की जाये जिसकी समीक्षा ब्लाक एवं जनपद स्तर पर नियमित रुप से की जाये।
- एच0एम0आई0एस0 मासिक रिपोर्ट, वार्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 हेतु ऑकड़ों को ससमय पोर्टल पर प्रविष्ठ एवं अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- वर्क प्लान जनरेट कर ए0एन0एम0 को उपलब्ध कराया जाये एवं भरे हुये वर्क प्लान की सूचना को पार्टल पर ससमय अपडेट किया जाये।
- ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर मास्टर डेटाबेस एवं ग्राम स्तरीय मैपिंग की पोर्टल पर शत–प्रतिशत जाँच एवं पुष्टि की जाये।
- लाभार्थियों एवं स्वास्थ्य कार्यकत्रियों (ए0एन0एम0 एवं आशा) का पूर्ण विवरण उनके दूरभाष, टेलीकाम प्रोवाइडर आधार एवं बैंक विवरण के साथ पोर्टल पर ससमय दर्ज एवं अपडेट किया जाना एवं दर्ज सभी रिकार्डस का वेरीफिकेशन(सत्यापन) पोर्टल पर किया जाना।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के सहयोग से ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की क्षमतावर्धन करेंगे तथा डाटा इन्ट्री की संख्यात्मक प्रगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगें।
- ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को समय–समय पर जनपद/मण्डल स्तरीय पोर्टल संबधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्य रुप से भेजा जाये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी ब्लॉक की मासिक समीक्षा विस्तृत रुप में की जाये एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पोर्टल पर कार्य करने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के बैंक एकाउन्ट में ससमय भुगतान, Labour Laws एवं Minimum Wages Act का पालन करते हुए कराया जाये एवं यदि इस सम्बनध में कोई भी शिकायत प्राप्त हो तो समस्या का निवारण तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों हेतु वर्ष 2017–18 हेतु प्रतिमाह स्वीकृत मानदेय रू0 14000.00/– के सापेक्ष मानव संसाधन अनुभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिमाह मानदेय रु0 9556.00/–, ई0पी0एफ0, सर्विस चार्ज, जी0एस0टी0 आदि ब्रेकअप का पालन Annexture-1 के अनुसार किया जाये। ब्रेकअप के अर्न्तगत EPF(Employer@13.15%) हेतु धनराशि रु0 5054.77 लाख, भारत सरकार द्वारा एन0एच0एम0 के अर्न्तगत रु015000/– या इससे कम मानदेय प्राप्त करने वाले कान्ट्रेक्चुअल कर्मियों हेतु FMR B.30.21 के अर्न्तगत स्वीकृत है जिसके सम्बन्ध में जनपदों को पत्रांकः 03/एस0पी0एम0यू0/लेखा/ 2015–16/वेतन/4682 दिनांक 11.08.2017 प्रेषित किया गया है।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सभी ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों का मूल्यांकन पोर्टल पर प्रविष्ठि डाटा की समयबद्धता, पूर्णता एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाये। (नोट–इस सम्बन्ध में विस्तृत मापदण्ड/दिशा–निर्देश राज्य स्तर से पृथक–रुप से जारी किये जायेगें, जिसे जनपदों द्वारा व्यक्ति/सेवा प्रदाता के साथ हुए अनुबन्ध में सम्मिलित किया जायेगा।)
- ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों हेतु अनुबन्ध 01 अप्रेल से 31 मार्च के मध्य की समयावधि हेतु किया जाये एवं 31 मार्च 2018 के उपरान्त व्यक्ति/सेवा प्रदाता के अनुबन्ध हेतु राज्य स्तरीय दिशा–निर्देशों की प्रतिक्षा की जाये।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देशः

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमो/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

Scanned by CamScanner

2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appopriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखावहियॉ, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490–8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्याःएस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/ब्लॉक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/2015–16(Vol-2)/51–ई/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0 एवं महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0

Scanned by CamScanner

(Annexure A)

Honorarium release of Block DEOs for FY 2017-18. Bifurcation details of budget of Rs. 14,000.00/- under various heads is mentioned below in table A, B &C.

Table A

Through Agency with 10% Service Charge	**Amount in Rs.**
In hand honorarium in employee account(fixed)	9556
EPF (Employee@12%)	1147
ESI (Employee@1.75%+Employer@4.75%)=6.50%	621
Agency Service Charge upper limit= 10%	956
GST @ 18%	1720
Sub Total	**14000**
EPF (Employer@13.15%)	1257
Total Payable to Agency	**15257**

Table B

Through Agency with 8% Service Charge	**Amount in Rs.**
In hand honorarium in employee account(fixed)	9556
EPF (Employee@12%)	1147
ESI (Employee@1.75%+Employer@4.75%)=6.50%	621
Agency Service Charge upper limit= 8%	764
GST @ 18%	1720
Sub Total	**13808**
EPF (Employer@13.15%)	1257
Total Payable to Agency	**15065**

Table C

Through Agency with 6% Service Charge	**Amount in Rs.**
In hand honorarium in employee account(fixed)	9556
EPF (Employee@12%)	1147
ESI (Employee@1.75%+Employer@4.75%)=6.50%	621
Agency Service Charge upper limit= 6%	573
GST @ 18%	1720
Sub Total	**13617.08**
EPF (Employer@13.15%)	1257
Total Payable to Agency	**14874**

It is to inform that GoI has sanctioined Rs.5054.77 lacs under FMR code B.30.21 for EPF compliance of Employer share in F.Y. 2017-18 to contractual staff NHM UP dwrawing salary less than or equal to Rs.15,000/- per month. The budget relased to EPF compliance has been released to Districts vide letter no. 03/SPMU/NHM/LEKHA/2015-16/VETAN/4682 dated 11/08/2017 under FMR code B.30.21 which may be utilised to meet out the EPF compliance of Employer share.